

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'आठ'

[3/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 3121]

विधान सभा प्रश्न क्रमांक- 3121 (तारांकित)

प्रश्नांश (ख) का पूरक उत्तर

परिशिष्ट "ए"

म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं रसोई गैस पर वेट एवं प्रवेशकर की दर।

अ.क्र.	वस्तु का नाम	वेट की दर		प्रवेशकर की दर	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	पेट्रोल	27 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक) 31 (20.12.2014 से)	31 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 1 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 25.11.2015 से 3.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 2 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01. 2016 तक) अतिरिक्त कर - 3 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील .	1	1
2	डीजल (एच.एस.डी.)	23 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक) 27 (20.12.2014 से)	27 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 1 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23. 01.2016 से प्रभावशील	1	1
3	डीजल (एल.डी.ओ.)	13	14 (दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील)	1	1
4	केरोसिन ऑइल (पी. डी.एस. के अंतर्गत)	5	5	0	0

5	केरोसिन ऑइल (अन्य)	13	14 (दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील)	2	2
6	एल.पी.जी (घरेलू)	5	5	2	2
7	एल.पी.जी (व्यवसायिक)	13	14 दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील।	2	2

M 15/2/16
संचालक
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-बी

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3121 द्वारा श्री रामनिवास रावत

(राशि लाखों में)

उत्पाद	2013-14	2014-15	2015-16
पेट्रोल	182066.88	206073.27	190837.76
डीजल	404057.68	439280.43	371085.66
एल.पी.जी. गैस	10775.49	14344.72	15996.9
कैरोसिन (एस.के.ओ.)	7083.29	6517.98	3837.05

संचालक

वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इंदौर